न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट नंगला बंजीरका)

ासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

कदमा नं0 1/194 /16 निर्णय दिनांक : 29.05.2017

उनवान

1. रामदयाल पुत्र स्व0 रामकिशन जाति चमार निवासी सादन का बास तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र स्व0 रामकिशन जाति चमार,
2. रतनलाल पुत्र स्व0 रामकिशन जाति चमार,
3. रमेश पुत्र स्व0 रामकिशन जाति चमार,
4. जगन पुत्र स्व0 रामकिशन जाति चमार,
5. मन्नी पत्नी स्व0 प्यारेलाल जाति चमार,
6. श्रीराम पुत्र स्व0 प्यारेलाल जाति चमार,
7. नरेश पुत्र स्व0 प्यारेलाल जाति चमार,
8. रामावतार पुत्र स्व0 प्यारेलाल जाति चमार,
9. भगवानी पुत्री स्व0 रामकिशन जाति चमार,
10. प्रेम पुत्री स्व0 रामकिशन जाति चमार,
11. सुगन पुत्री स्व0 रामकिशन जाति चमार, निवासियान सादन का बास तहसील रामगढ जिला अलवर।
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.................प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बरान 114 रकबा 0.34, 115 रकबा 0.02, 116 रकबा 0.25, 133 रकबा 0.11, 134 रकबा 0.01, 135 रकबा 0.25, 136 रकबा 0.06, 137 रकबा 0.25, 140 रकबा 0. 26, 221 रकबा 0.09, 222 रकबा 0.13 हैक्ट0 वाके ग्राम सादन का बास तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 के पिता तथा प्रतिवादी सं0 5 ला0 8 के ससुर व दादा रामकिशन के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। रामकिशन पुत्र छुटटनलाल की मृत्यु के पश्चात जर्ये इन्तकाल विरासत 150 दिनांक 29.06.1996 को वादी, प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 के पिता, प्रतिवादी सं0 5 ला0 8 के पति व पिता प्यारेलाल एवं वादी, प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 व मृतक प्यारेलाल की माता निहाली के नाम आयी। इन्तकाल सं0 150 का अमल जमाबन्दी सम्वत 2051 में आ गया है। जमाबन्दी सम्वत 2051 में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ला0 4, प्रतिवादी सं0 5 ला0 8 के पति व पिता तथा माता निहाली के नाम का इन्द्राज आने

Generated by CamScanner

के पश्चात सम्वत 2058 में ग्राम सादन का बास का बन्दोबस्त हुआ उस दौरान राजस्व कर्मचारियों ने वादी की एकतरफा में मौके व राजस्व रिकार्ड की जांच किये बिना बन्दोबस्त कर्मचारियों ने प्रतिवादीगण से साजबाज होकर विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अंकित करा लिया। जिसे दुरूस्त किया जावे।

अतः प्रार्थना है कि दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 ला0 11 इस कदर डिक्री फरमाई जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बरान 114 रकबा 0.34, 115 रकबा 0.02, 116 रकबा 0.25, 133 रकबा 0.11, 134 रकबा 0.01, 135 रकबा 0.25, 136 रकबा 0.06, 137 रकबा 0.25, 140 रकबा 0.26, 221 रकबा 0.09, 222 रकबा 0.13 हैक्ट0 वाके ग्राम सादन का बास तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी को 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 प्रत्येक को 10/63 व 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 5 ला0 8 को 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 9 ला0 11 प्रत्येक को 1/63 व 1/63 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा बन्दोबस्त सम्वत 2058 एवं उसके पश्चात के समस्त राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन कर हटाया जाये और उसके स्थान पर समस्त रिकार्ड में वादी को 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 प्रत्येक को 10/63 व 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 5 ला0 8 को 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 9 ला0 11 प्रत्येक को 1/63 व 1/63 हिस्से पर खातेदार काश्तकार के नाम का इन्द्राज किया जावे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नंगला बंजीरका में दिनांक 29.05.2017 को पेश हुई। उभयपक्षकारान ने राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया कि हम वादी व प्रतिवादीगण आज उपस्थित है। हम सभी का आपस में राजीनामा हो चुका है। हम प्रतिवादीगण वादी के दावे को स्वीकार करते है। दावा सही है। वादी के दावे के अनुसार वाद का निस्तारण कर दे। हमें कोई आपत्ति नही है।

राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नंगला बंजीरका में दिनांक 29.05.2017 को पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अध्ययन किया। वादी व प्रतिवादीगण का आपसी सहमती से राजीनामा हो जाने पर मुताबिक राजीनामा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बरान 114

Generated by CamScanner

रकबा 0.34, 115 रकबा 0.02, 116 रकबा 0.25, 133 रकबा 0.11, 134 रकबा 0.01, 135 रकबा 0.25, 136 रकबा 0.06, 137 रकबा 0.25, 140 रकबा 0.26, 221 रकबा 0.09, 222 रकबा 0.13 हैक्ट0 वाके ग्राम सादन का बास तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी को 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 प्रत्येक को 10/63 व 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 5 ला0 8 को 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 9 ला0 11 प्रत्येक को 1/63 व 1/63 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बन्दोबस्त सम्वत 2058 एवं उसके पश्चात के समस्त राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन कर उसके स्थान पर समस्त रिकार्ड में वादी को 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 प्रत्येक को 10/63 व 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 5 ला0 8 को 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 9 ला0 11 प्रत्येक को 1/63 व 1/63 हिस्से पर खातेदार काश्तकार दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत नंगला बंजीरका में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Generated by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट नंगला बंजीरका)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/194 /16 निर्णय दिनांक : 29.05.2017

उनवान

1. **रामदयाल पुत्र स्व0 रामकिशन जाति चमार निवासी सादन का बास तहसील रामगढ जिला अलवर।**

..............................वादी

बनाम

1. **सोहनलाल पुत्र स्व0 रामकिशन जाति चमार,**
2. **रतनलाल पुत्र स्व0 रामकिशन जाति चमार,**
3. **रमेश पुत्र स्व0 रामकिशन जाति चमार,**
4. **जगन पुत्र स्व0 रामकिशन जाति चमार,**
5. **मन्नी पत्नी स्व0 प्यारेलाल जाति चमार,**
6. **श्रीराम पुत्र स्व0 प्यारेलाल जाति चमार,**
7. **नरेश पुत्र स्व0 प्यारेलाल जाति चमार,**
8. **रामावतार पुत्र स्व0 प्यारेलाल जाति चमार,**
9. **भगवानी पुत्री स्व0 रामकिशन जाति चमार,**
10. **प्रेम पुत्री स्व0 रामकिशन जाति चमार,**
11. **सुगन पुत्री स्व0 रामकिशन जाति चमार, निवासियान सादन का बास तहसील रामगढ जिला अलवर।**
12. **राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।**

................प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बरान 114 रकबा 0.34, 115 रकबा 0.02, 116 रकबा 0.25, 133 रकबा 0.11, 134 रकबा 0.01, 135 रकबा 0.25, 136 रकबा 0.06, 137 रकबा 0.25, 140 रकबा 0.26, 221 रकबा 0.09, 222 रकबा 0.13 हैक्ट0 वाके ग्राम सादन का बास तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी को 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 प्रत्येक को 10/63 व 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 5 ला0 8 को 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 9 ला0 11 प्रत्येक को 1/63 व 1/63 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बन्दोबस्त सम्वत 2058 एवं उसके पश्चात के समस्त राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन कर उसके स्थान पर समस्त रिकार्ड में वादी को 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 प्रत्येक को 10/63 व 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 5 ला0 8 को 10/63 हिस्से, प्रतिवादी सं0 9 ला0 11 प्रत्येक को 1/63 व 1/63 हिस्से पर खातेदार काश्तकार दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.05.2017 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Generated by CamScanner